



2026:AHC:55115

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

धारा 528 बीएनएसएस के तहत आवेदन संख्या - 10849/2026

रवि प्रताप यादव

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य

.....विपक्षीगण

आवेदक के अधिवक्ता: राम प्रवेश यादव, शशांक कुमार

विपक्षी के अधिवक्ता: जी.ए. (सरकारी अधिवक्ता)

न्यायालय संख्या - 78

माननीय न्यायमूर्ति अनीश सक्सेना

1. अभियुक्त/आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री राम प्रवेश यादव उपस्थित हुए और तर्क दिया कि विपक्षी संख्या 2 (पीड़िता) द्वारा शादी के झूठे वादे पर बलात्कार की प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। दोनों के बीच संबंध आपसी सहमति से थे, क्योंकि अभियुक्त/आवेदक और पीड़िता वयस्क थे। उन्होंने सूचित किया कि वर्तमान में अभियुक्त/आवेदक और पीड़िता के बीच समझौता हो गया है। दोनों ने अलग-अलग विवाह कर लिया है। समझौते का पाठ आवेदन के पृष्ठ संख्या 48 से 54 पर है, वह आरोप पत्र और कार्यवाही को रद्द करने के लिए इस न्यायालय के हस्तक्षेप की मांग करते हैं।
2. विपक्षी संख्या 2 के विद्वान अधिवक्ता श्री रवि प्रकाश यादव उपस्थित हुए और वकालतनामा प्रस्तुत किया, जिसे रिकॉर्ड पर ले लिया गया है। उन्होंने अभियुक्त/आवेदक और पीड़िता के अलग-अलग विवाह के तथ्य और पक्षों के बीच हुए समझौते को स्वीकार किया।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



3. राज्य के विद्वान ए.जी.ए. ने कहा कि यदि पक्षकार दी गई परिस्थितियों में समझौता दाखिल करने के लिए विचारण न्यायालय जाते हैं, तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।
4. शादी के झूठे वादे पर बलात्कार के बिंदु पर, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने शंभू खरवार बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य (2022 एससीसी आनलाइन एससी 1032) के मामले में यह माना है कि विचार किया जाने वाला महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि क्या आरोप यह संकेत देते हैं कि अभियुक्त द्वारा पीड़िता को शादी करने का जो वादा दिया गया था, वह शुरुआत से ही झूठा था, जिसके आधार पर पीड़िता को यौन संबंध बनाने के लिए प्रेरित किया गया था। इस मामले में यह पाया गया कि पीड़िता और अभियुक्त के बीच संबंध उसके विवाह से पहले, विवाह के अस्तित्व के दौरान और उसके तलाक के बाद भी जारी रहे थे, और इसलिए यह माना गया कि संबंध सहमतिपूर्ण थे और अपराध नहीं थे। बाद में, प्रशांत बनाम दिल्ली राज्य (एनसीटी) (2025) 5 एससीसी 764 के मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि सहमति देने वाले जोड़े के बीच केवल संबंध टूटने के परिणामस्वरूप आपराधिक कार्यवाही शुरू नहीं की जा सकती। जो शुरुआत में पक्षों के बीच एक सहमतिपूर्ण संबंध था, उसे तब आपराधिक रंग नहीं दिया जा सकता जब उक्त संबंध वैवाहिक संबंध में परिणत नहीं होता। वहीं, रजनीश सिंह @ सोनी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य (2025) 4 एससीसी 197 के मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सोलह वर्षों के लंबे यौन संबंधों पर विचार किया, जिसके दौरान वे पति-पत्नी के रूप में रहे थे; इसे प्रेम प्रसंग और लिव-इन रिलेशनशिप के बिगड़ने का स्पष्ट मामला माना गया। एक अन्य मामले, कुणाल चटर्जी बनाम पश्चिम बंगाल राज्य और अन्य (माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 29.07.2025 को तय, एसएलपी (क्रि) सं. 7004 / 2025) में यह माना गया है कि जब पीड़िता नाबालिग थी तब अभियुक्त द्वारा बलात्कार किए जाने और वर्षों तक जारी रहने का आरोप, प्राथमिकी में लगाए गए आरोप के अलावा बिल्कुल भी साक्ष्य न होने का मामला है।
5. मधुकर और अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य (2025 एससीसी आनलाइन एससी 1415) के मामले में (प्रासंगिक पैराग्राफ 5, 6 और 7) माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने समझौते के आधार पर आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने के लिए धारा 482 द.प्र.स. (धारा 528 बी.एन.एन.एस के तहत) के तहत उच्च न्यायालय की शक्ति पर विचार किया है। यह माना गया है कि अंतर्निहित शक्ति का प्रयोग प्रत्येक मामले के तथ्यों के संदर्भ में किया जाना चाहिए। यह भी देखा गया है कि आईपीसी की धारा 376 के तहत अपराध निस्संदेह गंभीर और जघन्य प्रकृति का है और अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



सामान्यतः पक्षों के बीच समझौते के आधार पर ऐसे अपराधों वाली कार्यवाही को रद्द करने को हतोत्साहित किया जाता है और इसे आसानी से अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। इसी दृढ़ विश्वास के साथ, दूसरी ओर, यह माना गया कि न्याय के उद्देश्यों को सुरक्षित करने के लिए धारा 482 द.प्र.स. के तहत न्यायालय की शक्ति सीमित नहीं है और इसका प्रयोग प्रत्येक मामले के तथ्यों के संदर्भ में किया जाना चाहिए। यह टिप्पणी तब की गई है जब पक्षों ने अपने विवादों को सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझा लिया है और अपने जीवन में आगे बढ़ने के इच्छुक हैं और प्राथमिकी उसी की किसी प्रतिक्रियात्मक प्रभाव का परिणाम है। ऐसी परिस्थितियों में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि ट्रायल जारी रखने से कोई सार्थक उद्देश्य सिद्ध नहीं होगा, इसके विपरीत, यह केवल संबंधित सभी लोगों, विशेष रूप से शिकायतकर्ता के लिए परेशानी को बढ़ाएगा और परिणाम की संभावना के बिना न्यायालय पर बोझ डालेगा।

6. पक्षों के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह एक स्वीकृत तथ्य है कि अभियुक्त और पीड़िता दोनों वयस्क हैं और अपने निर्णय के प्रति अच्छी तरह से जागरूक हैं और पुराने विवादों को भुलाकर जीवन में आगे बढ़ रहे हैं।
7. क्या पक्षों (सूचनाकर्ता, पीड़िता और अभियुक्त) के बीच समझौता हुआ है, इसका सबसे अच्छा निर्णय विचारण न्यायालय द्वारा किया जा सकता है। इस प्रकार, पक्षकार तीस दिनों के भीतर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित हो सकते हैं और पक्षों के बीच हुए समझौते को दाखिल कर सकते हैं, जिसे विचारण न्यायालय द्वारा सत्यापित किया जाएगा। विचारण न्यायालय मूल प्रति को अपने रिकॉर्ड में रखेगा।
8. विचारण न्यायालय द्वारा किसी भी समझौते पर तब तक विचार नहीं किया जाएगा जब तक कि सूचनाकर्ता, पीड़िता और अभियुक्त हस्ताक्षरकर्ता न हों और उसके सत्यापन के लिए न्यायालय के समक्ष उपस्थित न हों। आपात स्थिति में, विचारण न्यायालय अपने विवेक का प्रयोग करेगा और उचित आदेश पारित करेगा।
9. साठ दिनों की अवधि के लिए, मुकदमा अपराध संख्या 24/2022 से उत्पन्न वाद संख्या 945/2023 (राज्य बनाम रवि प्रताप यादव), अंतर्गत धारा 376, 452, 504 और 506 आईपीसी, थाना लाइन बाजार, जिला जौनपुर की कार्यवाही स्थगित रखी जाएगी, यदि निर्धारित अवधि के भीतर समझौता दाखिल और सत्यापित किया जाता है, अन्यथा विचारण न्यायालय ट्रायल जारी रखेगा।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



10. सभी पक्षकार, जो समझौता दाखिल करते हैं और उसे सत्यापित करवाते हैं, वे आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने के लिए इस न्यायालय की अंतर्निहित शक्ति का उपयोग करते हुए एक संयुक्त आवेदन दाखिल करेंगे।
11. उपरोक्त के आलोक में, धारा 528 बीएनएसएस/482 द.प्र.स. के तहत आवेदन तदनुसार निस्तारित किया जाता है।

18 मार्च, 2026

अभिषेक श्री.

(अवनीश सक्सेना, जे.)

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।